राज कुमार मौर्य
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
श्री गदाधर आचार्य जनता कालेज,
रामबाग, बिहटा, पटना

विषय → मुख्यमन्त्री (Chief Minister)

भारतीय संविधान में राज्यपाल की जिन शक्तियों का उल्लेख किया गया है, उन शक्तियों का व्यवहारिक रुप से प्रयोग मुख्यमन्त्री के द्वारा किया जाता है। भारतीय राज्यों में मुख्यमन्त्री के द्वारा राज्य मन्त्रिमण्डल का आकार निश्चित किया जाता है। मुख्यमन्त्री के द्वारा विभिन्न मन्त्रियों के बीच विभागों का बटवारा किया जाता है। मुख्यमन्त्री के द्वारा मन्त्रिमण्डल के बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। मुख्यमन्त्री के द्वारा मन्त्रिमण्डल और राज्यपाल के बीच में सम्पर्क सूत्र के रुप में कार्य

Scanned with CamScanner

किया जाता है। यदि मुख्यमन्त्री की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में स्वतः ही मन्त्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। मुख्यमन्त्री को विधान सभा का नेता माना जाता है। अधिकांशतः मुख्यमन्त्री जनता द्वारा सीधे विधायक के रूप में चुने जाते है, परन्तु कुछ मुख्यमन्त्री विधान परिषद के सदस्य थे। मुख्यमन्त्री सभी विभागों की देख-रेख का कार्य करता है मुख्यमन्त्री मन्त्रियों के बीच विभागों या मन्त्रालयों का फेरबदल कर सकता है। और कभी भी किसी मन्त्री को उसके पद से हटा सकता है।

भारतीय राज्यों में ~~राष्ट्रपति~~ राज्यपाल के द्वारा जो कार्यपालिका, विधायी और न्यायिक कार्य ~~सौंपे~~ किए जाते है वो वास्तव में मुख्यमन्त्री के

Scanned with CamScanner

द्वारा ही किए जाते है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-167 में मुख्यमन्त्री के कार्यों का उल्लेख किया गया है-

- अनुच्छेद - 167 (i) के अनु० मुख्यमन्त्री का ~~वह~~ कर्तव्य होगा कि वह राज्यपाल को मन्त्रिमण्डल के द्वारा लिए गये सभी निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराएँ।
- अनुच्छेद - 167 (ii) के अनुसार मुख्यमन्त्री राज्यपाल के द्वारा राज्य के प्रशासन और विधान से सम्बन्धित माँगी ~~गई~~ गई सूचनाओं को प्रदान करें,
- अनुच्छेद - 167 (iii) के अनुसार यदि किसी विषय पर एक मन्त्री ने विचार किया हो, किन्तु मन्त्रिपरिषद ने नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में विषय को राज्यपाल, मन्त्रिमण्डल के समक्ष रखवा सकता है।

इस तरह भारतीय राजव्यवस्था के अन्तर्गत राज्यों में मुख्यमन्त्री की स्थिति प्रधानमन्त्री की भाँति ही ~~होती~~ है।

Scanned with CamScanner